



चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय, मेरठ। Ch. Charan Singh University, Meerut

पत्रांक : पी0ए0/5697
दिनांक : 06.08.2022

सेवा में,

समस्त प्राचार्य/प्राचार्या/सचिव/निदेशक
समस्त सम्बद्ध महाविद्यालय/संस्थान,
चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय,
मेरठ।

विषय:- महाविद्यालय/संस्थानों में वृक्षारोपण किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय/महोदया,

कृपया उपर्युक्त विषयक शासन के पत्र संख्या-1773/सत्तर-3-2022-08(21)/2019 दिनांक 01 जुलाई, 2022 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें। जो कि महाविद्यालय/संस्थानों में वृक्षारोपण किये जाने हेतु निर्देशित किया गया है।

उक्त के क्रम में शासन के पत्र संख्या-1773/सत्तर-3-2022-08(21)/2019 दिनांक 01 जुलाई, 2022 एवं कुलपति जी के आदेशानुसार आपसे अपेक्षा है कि आप साक्षी अहलावत, प्लेसमेन्ट ऑफिसर, एम0आई0ई0टी0, बागपत बाईपास रोड, मेरठ से सहायता प्राप्त कर अपने-अपने महाविद्यालय/संस्थान शासन द्वारा दिये गये निर्देशों के क्रम में कर वृक्षारोपण कराना सुनिश्चित करें।

भवदीय,


कुलसचिव

प्रतिलिपि :-

01. सचिव कुलपति को मा0 कुलपति जी के सूचनार्थ।
02. वैयक्तिक सहायक प्रति-कुलपति को प्रति-कुलपति जी के अवलोकनार्थ।
03. सचिव/प्राचार्य, एम0आई0ई0टी0, बागपत बाईपास रोड, मेरठ
04. साक्षी अहलावत, प्लेसमेन्ट ऑफिसर, एम0आई0ई0टी0, बागपत बाईपास रोड, मेरठ
05. विश्वविद्यालय प्रैस प्रवक्ता, चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय, मेरठ।
06. प्रभारी वेबसाइट, चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय, मेरठ।

कुलसचिव

वृक्षारोपण जन आन्दोलन-2022**महत्वपूर्ण / तत्काल**

संख्या-1/184684/२०२२/११-७-२०२२

प्रेषक,

दुर्गा शंकर मिश्र,
मुख्य सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1. समस्त मण्डलायुक्त।
2. समस्त जिलाधिकारी।
3. समस्त प्रभागीय वनाधिकारी/प्रभागीय निदेशक।
4. समस्त मुख्य विकास अधिकारी।

पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन अनुभाग-5
2022

दिनांक: 30 जून,

विषय- वर्ष 2022-23 में 35 करोड़ पौधारोपण के सम्बन्ध में।
महोदय,

उपरोक्त विषयक शासनादेश संख्या-881/81-5-2019-03/2019, दिनांक 21.11.2019 द्वारा वर्ष 2022-23 में 35 करोड़ पौधारोपण का लक्ष्य निर्धारित किया गया है, जिसमें 14.00 करोड़ पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग तथा 21.00 करोड़ अन्य 25 विभागों द्वारा किया जाना है। वृक्षारोपण जन आन्दोलन-2022 के तहत निर्धारित 35 करोड़ पौधारोपण लक्ष्य की पूर्ति हेतु समय सारणी निम्नानुसार तय की गई है:

▪ दिनांक 05 जुलाई, 2022	:	25 करोड़ पौधारोपण
▪ दिनांक 06 जुलाई, 2022	:	2.5 करोड़ पौधारोपण
▪ दिनांक 07 जुलाई, 2022	:	2.5 करोड़ पौधारोपण
▪ दिनांक 15 अगस्त, 2022	:	5 करोड़ पौधारोपण

2. अस्तु, आपसे अपेक्षा है कि दिनांक 05.07.2022 को प्रदेश में एक ही दिन में 25 करोड़ पौधारोपण कार्यक्रम के सफलतापूर्वक क्रियान्वयन सुनिश्चित करने हेतु जनपद में निम्न बिन्दुओं पर तत्काल कार्यवाही सुनिश्चित करायेंगे:

- 1) दिनांक 01.07.2022 को जनपद में जिला वृक्षारोपण समिति के साथ बैठक कर जनपद हेतु निर्धारित पौधारोपण लक्ष्य की प्राप्ति हेतु रणनीति तथा तैयारी की समीक्षा करेंगे।
- 2) जनपद में वन विभाग अथवा अन्य विभाग द्वारा वृक्षारोपण हेतु तैयार किये गये विभिन्न स्थलों का भौतिक सत्यापन कराकर दिनांक 05.07.2022 को निर्धारित लक्ष्य के अनुसार वृक्षारोपण की तैयारी की समीक्षा करेंगे।
- 3) वृक्षारोपण कार्यक्रम में सभी स्तर के जनप्रतिनिधियों यानि मा0 सांसद, मा0 विधायक, मा0 महापौर/अध्यक्ष नगरीय निकाय एवं सभी पार्षद/ सभासद, मा0 अध्यक्ष, जिला पंचायत/ क्षेत्र पंचायत एवं सभी सदस्य, ग्राम प्रधान एवं पंचायत सदस्यगण का सक्रिय सहयोग एवं सहभागिता सुनिश्चित करेंगे।
- 4) समस्त सरकारी/गैर सरकारी संस्थाएं, सिविल सोसाईटी, NCC, NSS, नेहरू युवा केन्द्र, युवक मंगल दल, महिला मंगल दल आदि, Rotary/Rotract/Lions Club, Eco Club, सभी व्यापार मण्डल, किसान उत्पादक संगठन (FPO) आदि की प्रतिभागिता के साथ व्यापक सक्रिय जन सहभागिता से वृक्षारोपण अभियान संचालित किया जायेगा।

- 5) दिनांक 05.07.2022 को पौधारोपण के दौरान (दिनांक 05.07.2022 को प्रातः 06:00 बजे से सायं 06:00 बजे तक जिलाधिकारी द्वारा निर्धारित समयानुसार) वृक्षारोपण हेतु आयोजित वृहद कार्यक्रम में प्रतिभाग करेंगे।
 - 6) रोपित पौध/पौध स्थल की सुरक्षा व्यवस्था एवं जियोटैगिंग तत्काल कराकर समस्त पौधारोपण की स्थलीय समीक्षा Digital माध्यम से कराने में सहयोग करेंगे।
 - 7) जनपद में विभिन्न प्रकार के पौधारोपण जैसे अमृत वन, शक्ति वन, नगर वन, खाद्य वन, बाल वन तथा युवा वन की विशिष्ट स्थापना के संबंध में की गई तैयारी की समीक्षा करेंगे।
 - 8) 5 जुलाई के वृहद जन आन्दोलन के बाद अगले दो दिन 2.5 - 2.5 करोड़ पौधों का रोपण होना है, इसके लिए पूर्व में ही समुचित योजना तैयार कर कार्यान्वित की जाए।
3. उक्त के अतिरिक्त दिनांक 29.06.2022 को समस्त विभागों के साथ वृक्षारोपण जनआंदोलन 2022 की समीक्षा के दौरान वृक्षारोपण अभियान को व्यापक जनसहभागिता के साथ सफलतापूर्वक संचालन हेतु दिये गये निम्न निर्देशों का भी अनुपालन कराया जाये :
- 1) कार्यक्रम के दौरान जनप्रतिनिधियों की प्रतिभागिता सुनिश्चित कराने हेतु जिलाधिकारी द्वारा समय से सारी कार्यवाही पूर्ण कर ली जाए।
 - 2) मा0 मंत्री/ जनपद के प्रभारी मंत्री द्वारा किए जाने वाले वृक्षारोपण हेतु उचित क्षेत्र स्थल का चयन पूर्व से ही प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा किया जायेगा, जिसमें वृक्षारोपण के पश्चात रोपित पौधों की समुचित सुरक्षा, सिंचाई एवं देखरेख की व्यवस्था सुनिश्चित की जाये। उक्त स्थल पर वृक्षारोपण समारोह के आयोजन हेतु जिलाधिकारी द्वारा आवश्यक सहयोग प्रदान किया जायेगा।
 - 3) प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के पंजीकृत समस्त 2.55 करोड़ कृषकों द्वारा यथासंभव 1 से 10 पौधों तक का रोपण अनिवार्य रूप से कराया जाये, जिसके लिये जिला कृषि अधिकारी नोडल अधिकारी होंगे।
 - 4) जनपद स्तर पर वन विभाग के नियंत्रण में वार रूम की स्थापना की जाये जिसे 24x7 रूप में क्रियाशील रखा जाये। इसका व्यापक प्रचार-प्रसार भी किया जाए, जिससे वृक्षारोपण के सम्बन्ध में किसी प्रकार की जिज्ञासा व समस्या का निराकरण हो सके।
 - 5) वृक्षारोपण कार्यक्रम को निर्वाचन की तरह इलेक्शन मोड में कराने हेतु जनपद को सेक्टर व जोन में विभाजित कर सेक्टर मजिस्ट्रेट व जोनल मजिस्ट्रेट की तैनाती की जाये।
 - 6) 1 जुलाई से प्रत्येक दिन जिला वृक्षारोपण समिति की बैठक कर वृक्षारोपण कार्यक्रम का गहन अनुश्रवण किया जाये।
 - 7) जनपद का मास्टर प्लान तैयार किया जाये जिसमें स्थलवार प्रतिभाग करने वाले जनप्रतिनिधिगण, विभिन्न संस्थाएं/विभाग आदि के विवरण के साथ नर्सरी से वृक्षारोपण स्थल तक पौध दुलान का विस्तृत विवरण व उक्त से सम्बन्धित लॉजिस्टिक का विवरण सम्मिलित हो।
 - 8) दिनांक 05 जुलाई को एक ही दिन 25 करोड़ पौधारोपण के सफलतापूर्वक क्रियान्वयन हेतु आधे दिन सभी कार्यालय, सभी विद्यालय तथा अन्य संस्थाएं केवल वृक्षारोपण के कार्य में सहयोग देंगे। इस हेतु समस्त विभागाध्यक्ष/कार्यालयाध्यक्ष विभिन्न वृक्षारोपण स्थलों के अनुश्रवण हेतु अधिकारियों/कर्मचारियों को नामित करेंगे।
 - 9) समस्त शिक्षण संस्थानों में दिनांक 1 से 4 जुलाई तक प्रतिदिन वृक्षारोपण के महत्व के सम्बन्ध में जानकारी समस्त छात्रों को प्रदान किया जाये।
 - 10) प्रत्येक विभाग आवंटित लक्ष्य के सापेक्ष कराये गये वृक्षारोपण की सिंचाई एवं सुरक्षा हेतु स्वयं जिम्मेदार होंगे।
 - 11) उपरोक्त वृक्षारोपण कार्यक्रम के वृहद प्रचार-प्रसार हेतु जिला सूचना अधिकारी नोडल अधिकारी होंगे।
 - 12) उपरोक्त वृक्षारोपण जन आन्दोलन में भारत सरकार के विभागों/ संस्थाओं को जोड़ते हुए उनका भी पूरा सहयोग लिया जाए।

4. इस वृक्षारोपण अभियान के सफलतापूर्वक संचालन हेतु वन एवं वन्य जीव विभाग के मुख्यालय पर स्थित कमांड सेंटर में एक वार रूम स्थापित किया गया है। इस वार रूम के माध्यम से जिला मुख्यालय के वार रूम से प्राप्त समस्त सूचनाओं अर्थात् समीक्षा रिपोर्ट, फोटोग्राफ, वीडियो ग्राफ, वृक्षारोपण की प्रगति इत्यादि से संबंधित समस्त सूचनाएं प्राप्त कर संकलित की जाएंगी। जनपद द्वारा उपरोक्त समस्त सूचनाएं वन एवं वन्य जीव विभाग द्वारा तैयार किए गए पोर्टल <http://upfd.in/UPFDmedia/Secure/login/login.aspx> पर अपलोड की जाएंगी।
5. इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वृक्षारोपण जन आंदोलन-2022 में समाज के सभी लोगों का सक्रिय सहयोग एवं सहभागिता प्राप्त करते हुए इसे वृहद जन आंदोलन का रूप दिया जाए। जनपद में उक्त सम्बन्ध में ऐसा वातावरण सृजित किया जाए कि आम जनमानस भी स्वयमेव इससे जुड़ जाए। कृपया उक्त निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित कराते हुए कृत कार्यवाही की सूचना उपरोक्त तानुसार उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

Signed by दुर्गा शंकर
मिश्र

Date: 30-06-2022 18:38:58

Reason: Approved

(दुर्गा शंकर मिश्र)

मुख्य सचिव,

उत्तर प्रदेश शासन।

पत्रांक-1/184684/2022 तद दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

1. अध्यक्ष, राजस्व परिषद्, उत्तर प्रदेश।
2. कृषि उत्पादन आयुक्त, उत्तर प्रदेश शासन।
3. अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास आयुक्त, उत्तर प्रदेश शासन।
4. अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव,
पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन/गृह/ग्राम्य विकास/पंचायतीराज/राजस्व/आवास/औद्योगिक विकास/नगर विकास/लोक निर्माण/जल शक्ति/रेशम/कृषि/पशुपालन/सहकारिता/उद्योग/ऊर्जा/
माध्यमिक शिक्षा/वैसिक शिक्षा/ प्राविधिक शिक्षा/उच्च शिक्षा/श्रम/स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा/
परिवहन/उद्यान को इस आशय से प्रेषित कि अपने विभाग से सम्बन्धित लक्ष्यों को पूर्ण कराने का कष्ट करें।
5. हेडक्वार्टर सेंट्रल कमाण्ड, रक्षा विभाग, उत्तर प्रदेश, लखनऊ। (द्वारा प्रधान मुख्य वन संरक्षक एवं विभागाध्यक्ष)
6. डी0 आर0 एम0, एन0 आर0 एवं एन0 ई0 आर0, रेलवे विभाग, उ0 प्र0, लखनऊ। (द्वारा प्रधान मुख्य वन संरक्षक एवं विभागाध्यक्ष)
7. प्रधान मुख्य वन संरक्षक और विभागाध्यक्ष, उत्तर प्रदेश शासन।
8. समस्त सम्बन्धित विभागों के विभागाध्यक्ष। (द्वारा प्रधान मुख्य वन संरक्षक एवं विभागाध्यक्ष)
9. समस्त जौनल/मण्डलीय मुख्य वन संरक्षक, उत्तर प्रदेश। (द्वारा प्रधान मुख्य वन संरक्षक एवं विभागाध्यक्ष)
10. समस्त वन संरक्षक, उत्तर प्रदेश। (द्वारा प्रधान मुख्य वन संरक्षक एवं विभागाध्यक्ष)
11. गार्ड फाईल।

(मनोज सिंह)

अपर मुख्य सचिव,

उत्तर प्रदेश शासन।